-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :-

पीठासीन अधिकारी :- श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 17 / 2022

उनवान

1. मनफूल पुत्री हरदेव
2. लादी पत्नी लादू पुत्रवधु हरदेव
3. इन्द्रचन्द पुत्र लादू पौत्र हरदेव
4. कैलाश पुत्र लादू पौत्र हरदेव
5. महेन्द्र पुत्र लादू पौत्र हरदेव
6. सांवरलाल पुत्र लादू पौत्र हरदेव
7. राजू पुत्र लादू पौत्र हरदेव
8. पुखराज पुत्र लादू पौत्र हरदेव
9. जाना पुत्री लादू पौत्री हरदेव
10 झाना पुत्री लादू पौत्री हरदेव जाति माली निवासी रामसर

— प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता सुखदेव चौधरी

वनाम

1. गोमा पत्नी कालू
2. धनराज पुत्र भंवरलाल
3. जगदीश पुत्र भंवरलाल
4. सांवरलाल पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी रामसर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

— अप्रार्थीगण :- जरिये अधिवक्ता हीरालाल माली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :- २५.५.२२

-: आदेश :-

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आवंटन शुदा भूमि ग्राम रामसर में स्थित भूमि है जिसके वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2072–75 अनुसार निम्न प्रकार है:–

चौसाला ख. नं.	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
471	68–12–10 में से 15–0–0	584	12–14–0	886	0.51
				887	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के पूर्वज हरदेव पुत्र काना जाति माली को दिनांक 25.6.1964 को
आवंटन नियम की गई थी। उक्त आवंटन आदेश की पलाना में संवत 2023 से 26 में खसरा
गिरदावरी की कॉलम संख्या 41 में उक्त आवंटनशुदा भूमि का नोट अंकित कर दिया गया किन्तु
दौराने बंदोबस्त वर्किंग में खसरा गिरदावरी संवत 2055 से 5058 में प्रार्थीगण के अतिरिक्त मोडू
पुत्र तेजा व भूरा पुत्र तेजा का भी उक्त आवंटनशुदा भूमि में आधा हिस्से का नाम दर्ज रेकॉर्ड कर
दिया गया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाने हेतु निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया।
अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसमें अप्रार्थी ने निवेदन किया की उक्त
खसरा नम्बर प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम कभी आवंटन नहीं हुआ था तथा चोसाला खसरा नम्बर
471 एक बडा रकबा था जो करीबन 68 बीघा था जिसके किस भाग में कितना आवंटन हुआ स्पष्ट
नहीं है। ना ही आवंटन अलोटमैन्ट है। दिनांक 25.6.1964 आवंटन नियमन का कोई दस्तावेज
पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सैटलमैन्ट लागू हुआ जिसमें भी इनका कोई हवाला नहीं
दिया गया। आज दिवस तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं रहा । उक्त भूमि पुश्तैनी समय से ही
अप्रार्थीगण एवं इनके पूर्वजों के नाम चली आ रही है। चौसाला खसरा नम्बर 471 वर्किंग खसरा
नम्बर 584 हाल खसरा नम्बर 886 एवं 887 आपस में मेल नहीं खाता है। हाल खसरा नम्बर 886,
887 मु. झमकू बेवा हरदेव, लादू वल्द हरदेव 2/3 हि. मोडू भुरा पि0 तेजा 1/3 हि. कौम माली
खातेदार दर्ज थी। भूरा उर्फ भंवरलाल ने आज हिस्सा 9.7.2020 को जगदीश, सांवरलाल, धनराज
के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवा दिया है तथा शेष गोमा पत्नी कालू एवं अन्य ने क्य किया
था। मोके पर केतागण काबिज काश्त है। प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि पर कभी कब्जा हक
अधिकार नहीं रहा तथा ना ही कोई ऐसा दस्तावेज है जो यह साबित करता है कि प्रर्थीगण की
भूमि रही हो । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी व्यय से खारिज करने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कृषि भूमि के आवंटन की आज्ञा राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि
आवंटन नियम 1657 के तहत दिनांक 25.6.1964 को हरदेव पुत्र काना माली निवासी रामसर को
आवंटित की गई थी। जिसके खसरा नम्बर 471मी रकबा 15 बीघा है। उक्त आवंटन आदेश अनुसार
खसरा गिरदावरी संवत् 2023–26 में आवंटी हरदेव पुत्र काना माली का अंकन है। जिसका सम्पूर्ण
क्षेत्रफल 68–12–10 है। तत्पश्चात खसरा गिरदावरी संवत् 2055–58 में रकबा 15–02–00 पर मु.
झमकू बेवा हरदेव, लादू वल्द हरदेव 2/3 हि. मोडू भूरा पि. तेजा माली 1/2 हि. का अंकन किया
गया है। जिसका राजस्व अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं [illegible] अनुसार खसरा नम्बर
886 रकबा 0.51, 887 रकबा 1.97 प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण [illegible] रूप से दर्ज है। प्रार्थीगण
के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि वादग्रस्त [illegible] प्रार्थीगण को आवंटनशुदा
खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात थी। धारा 212 [illegible] के अन्तर्गत कोई प्रार्थना का
विनिश्चयन करते समय प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन और अपूर्णनीय क्षति के
तीनों घटकों पर विचार किया जाना आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति का विवादग्रस्त भूमि पर क्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

धिकार है यह तो साक्ष्यों के परीक्षण और उसके आधार पर वाद की कार्यवाही के दौरान अंतिम निर्णय पर ही तय हो सकता है। अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना पत्र में अधिकारों का निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसमे तो यही देखा जाना अपेक्षित है कि वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिन तक प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला या सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में बनता है या नहीं।

वादग्रस्त आराजी हाल जमाबन्दी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त आराजी को आवंटनशुदा बताते है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम कभी आवंटन नहीं हुआ था। जबकि पत्रावली पर आवंटन की प्रति उपलब्ध है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में जाहिर किया है कि आराजी मुतनाजा पुश्तैनी समय से ही अप्रार्थीगण एवं पूर्वजों के नाम दर्ज आ रही है। जबकि अप्रार्थीगण के द्वारा पत्रावली पर वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। जिससे वाद बहुलता की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से आराजी मुतनाजा प्रथम दृष्टया आवंटनशुदा सिद्ध होती है। प्रकरण में प्रार्थी के तथ्य प्रथम दृष्टया सिद्ध होना पाया जाता है।

2. <u>अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना</u> :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा आवंटनशुदा भूमि के संबधं में दस्तावेज भी पेश किये है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही सिद्ध होंगे। प्रार्थी एवं अप्रार्थी आराजी मुतनाजा के वर्तमान में संयुक्त खातेदार है अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थी के पक्ष में होती है। शेष तथ्य मूल वाद में तय होंगे। अतः वाद बहुलता रोकने के उद्देश्य से प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण यह सिद्ध करने में सफल रहे है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने पर उन्हें क्या अपूरणीय क्षति होगी।

3. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होती है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम रामसर के खाता संख्या 1806/1914 खसरा नम्बर 886, 887 रकबा 0.51, 1.97 हैक्टर की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा के मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज दिनांक .... को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद